न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 18/2024 (उदयपुर आर्डर)

1. दौलतसिंह पिता खूमसिंह जी मु. भंवरसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मनोहरसिंह पिता भैरूसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गजेसिंह पिता भैरूसिंह जी देवडा राजपूत (मृतक) के बजाय :–

3/1. श्रीमती सोहनबाई पत्नी स्व. गजेसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. कुबेरसिंह पिता स्व. गजेसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. मदनसिंह पिता स्व. गजेसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/4. श्रीमती मीना कुंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह पुत्री गजेसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी खोखराफला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. सोहनसिंह पिता खूमसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. गमेरसिंह पिता खूमसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. गोविन्दसिंह पिता जयसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. महेन्द्रसिंह पिता जयसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती कंकूबाई बेवा जयसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. देवीसिंह पिता गोपालसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. भगवतसिंह पिता गोपालसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. तख्तसिंह पिता गोपालसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. मोहनसिंह पिता गोपालसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हिम्मतसिंह पिता सुल्तानसिंह जी देवडा राजपूत (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती पारस कुंवर पत्नी स्व. हिम्मतसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. भैरूसिंह पिता स्व. हिम्मतसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. किशनसिंह पिता स्व. हिम्मतसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. लालसिंह पिता स्व. हिम्मतसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, रामदेव जी का बाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती प्रेम कुंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जी सोलंकी पुत्री हिम्मतसिंह जी देवड़ा, निवासी सोलकियों का बाडा, मेडता डबोक, पोस्ट गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्रीमती सरसीबाई बेवा सुल्तानसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) नाम तर्क किया गया

3. श्रीमती प्रतापबाई पुत्री सुल्तानसिंह जी देवडा राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. मोहन देवी पत्नी खेतसिंह जी राजपूत, निवासी ढीकली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
गिर्वा दि. 19.06.2024 प्र.सं. 1/2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 05–09–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देबारी की आराजी नंबर 2810, 3069 कुल किता 2 रकबा 0.0850 हैक्टर एवं आराजी नंबर 3053, 3054, 3059, 3069 कुल किता 4 रकबा 0.3850 हैक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

जिसके साबिक आराजी नंबर 2059, 2073, 2081, 2084, 2090, 2091 हैं। उक्त आराजियात के खातेदार अधिपत्यधारी जवानसिंह पिता किशनसिंह जी राजपूत थे, जिनके कोई लड़का, लड़की व पत्नी नहीं होने से उनकी बीमारी अवस्था में देखभाल व सेवाचाकरी वादी के पिता सुल्तानसिंह जी ने की, जिससे प्रसन्न होकर जवानसिंह जी ने अपनी उक्त जायदाद की वसीयत सुल्तानसिंह के पक्ष में संवत् 2033 कार्तिक विद पांचम को कर अपनी अंगूठा निशानी कर दी। खातेदार जवानसिंह जी की मृत्यु दिनांक 20–10–1978 को लाऔलाद हो गई, जिनका क्रिया कर्म सुल्तानसिंह जी द्वारा किया गया। जवानसिंह की आराजियात में जवानसिंह के जीवनकाल से ही वादी की पिता सुल्तानसिंह काबिज होकर काश्त करते थे तथा जवानसिंह जी की वसीयत के आधार पर जवानसिंह जी की मृत्यु के बाद खातेदारी हक से काबिज चले आ रहे हैं। जवानसिंह की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर भंवरसिंह, मनोहरसिंह, खुमसिंह, गजेसिंह पिता भैरूसिंह तथा जयसिंह, देवीसिंह, भगवतसिंह, तख्तसिंह, मोहनसिंह पिता गोपालसिंह व वादीगण के नाम गलत इन्द्राज करवा दिया, जबकि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न ही किसी अन्य का कब्जा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 2810, 3060 कुल किता 2 रकबा 0.0850 हैक्टर सम्पूर्ण तथा आराजी नंबर 3053, 3054, 3059, 3069 कुल किता 4 रकबा 0.3850 हैक्टर में वादीगण को 2/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 13 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–10–2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 54/2103 में पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2013 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादीगण ने प्रोसेस सर्वर से मिलीभगत कर नियत [illegible] दिनांक 29–04–2013 बाबत् एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

झूठी रिपोर्ट दिनांक 14–04–2013 को आप न्यायालय में पेश की कि प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से इंकार किया, जबकि हम प्रार्थीगण को इस प्रोसेस सर्वर ने न तो कभी सूचना दी, न वो हमारे पास कभी सम्मन लेकर आये, न ही हमने लेने से इंकार किया। वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत होने से माननीय आप न्यायालय ने उक्त तामिल स्वीकार नहीं की एवं दिनांक 02–07–2013 को रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भिजवाने के आदेश दिये, जिस पर वादीगण ने नियत पेशी दिनांक 23–07–2013 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भिजवाये जाकर बदनियती से इनकी फर्जी तामिल कराने हेतु वादीगण स्वयं ने प्राप्त किये तथा ए.डी. स्लिप पर हम सभी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर करके आप न्यायालय में पेश कर दिये, जिससे माननीय आप न्यायालय ने हम प्रतिवादीगण की तामिल मानकर दिनांक 17–09–2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान कर दिये। प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध भी तामिल कराने के स्पष्ट आदेश थे, लेकिन वादीगण ने उक्त आदेश की पालना नहीं की, जिससे प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो गये। वादीगण ने जो ए.डी. स्लिप आप न्यायालय में प्रस्तुत की है, उस पर न तो हम प्रार्थीगण के हस्ताक्षर हैं, न अशिक्षित प्रार्थी मोहनसिंह की निशानी ही मौजूद है। हम सभी 12 प्रार्थीगणों के ए.डी. पर फर्जी हस्ताक्षर किये जाकर आप न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतिवादीगण के सम्मन की तामिल कराने बाबत् आदेश 5 नियम 17–18 एवं 19 (3) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसकी पालना संबंधित डाकिये या प्रोसेस सर्वर द्वारा नहीं की गयी है, न ही इन ए.डी. स्लिप पर ऑफिस की छाप है, न डाकिये के हस्ताक्षर हैं एवं न ही सम्मन वाले लिफाफे पर डेलीवर करने बाबत् कोई रिपोर्ट है, जिससे प्रकट होता है कि ए.डी. स्लिप फर्जी व कूटरचित है। दिनांक 03–07–2015 को हिम्मतसिंह हम प्रार्थीगणों की भूमि पर आये तथा हमें बुवाई करने से रोका तथा बताया कि यह भूमि उनके नाम हो चुकी हैं, तब अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 24–1[illegible] निरस्त की जावे तथा मामले में अग्रिम कार्यवाही प्रार्थीगण की उपस्थिति में [illegible]रायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कियाकि उनके द्वारा प्रोसेस सर्वर से कोई मिलीभगत नहीं की गयी है तथा वसीयत के दस्तावेज पर न तो स्टाम्प की आवश्यकता है एवं न ही उसे रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता है। न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये हैं। प्रतिवादीगण की विधिवत तामिल होने के बावजूद व न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे हुए हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–06–2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण पर प्रोपर तामिल हुई अथवा नहीं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि ए.डी. स्लिप पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, हस्ताक्षर फर्जी किये गये हैं। यहां तक की उन पर पोस्ट ऑफिस की छाप भी नहीं है तथा फर्जी हस्ताक्षर की एफ.एस.एल. करवाये जाने पर ए.डी. स्लिप पर अपीलान्टगण के फर्जी हस्ताक्षर पाये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को सम्मन की तामिल नहीं हुई है तथा तामिल की अनियमितता के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का सारा आदेश कयासी आधारों पर हैं। वसीयत फर्जी है तथा वसीयतकर्ता के मरने के बाद फर्जी वसीयत तैयार कर उसके आधार पर गलत आदेश पारि[illegible] है। [illegible] सादे कागज पर होकर अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प है, ऐसी [illegible] तक सिविल न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वैध घोषित नहीं करा दिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय से वसीयत के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधिनस्थ न्यायलाय ने आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रावधान को समझे बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–06–2024 एवं एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2013 अपास्त किये जावे तथा अपीलान्टगण का जवाबदावा लिया जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं वादी हिम्मतसिंह के वाद से प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि विवादित आराजी नंबर 2810, 3060 कुल किता 2 रकबा 0.0850 हैक्टर एवं आराजी नंबर 3053, 3054, 3059, 3069 कुल किता 4 रकबा 0.3850 हैक्टर भूमि जिसके साबिक आराजी नंबर 2059, 2073, 2081, 2084, 2090, 2091 पक्षकारान की पैत्रृक भूमि होकर वसीयतकर्ता जवानसिंह को विरासत से प्राप्त हुई है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि जवानसिंह लाऔलाद फोत हुए इसी कारण से उक्त भूमि उनके भाईयों में बराबर–बराबर हिस्से से दर्ज हुई है, किन्तु वादी/रेस्पोन्डेन्ट के पिता सुल्तानसिंह के पक्ष में जवानसिंह द्वारा वसीयत किये जाने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए उन्हें जवानसिंह के हिस्से की आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि प्रथमताः तो उक्त वसीयत अनस्टाम्प्ड एवं अनरजिस्टर्ड होकर मात्र सादे कागज पर है। अपीलान्टगण द्वारा हमारे सम्मुख थानाधिकारी प्रतापनगर उदयपुर की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभियुक्त हिम्मतसिंह से मूल वसीयत पेश करने हेतु कहा गया तो उसनें एस.डी.एम. गिर्वा में पेश करना बताया, जबकि एस.डी.एम. गिर्वा में प्रस्तुत वसीयत मूल वसीयत नहीं होकर फोटो प्रति हो एग्जिविट डाले हुए हैं एवं इस पर किसी अधिकारी व वकील के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः मूल वसीयत कहां हैं व किसको पेश की अभियुक्त नहीं बता पाया है। अभियुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

काफी चतुर एवं चालक होकर मूल वसीयत पेश नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सादे कागज पर लिखे दस्तावेज के आधार पर रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद एकपक्षीय डिक्री कर दिया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में पारित अपीलाधीन आदेश का प्रश्न है, उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने स्पष्ट अंकित किया है कि उन्हें सम्मन की तामिल नहीं हुई है तथा ए.डी. स्लिप पर उनके फर्जी हस्ताक्षर हैं एवं उन्होंने कभी भी सम्मन लेने से इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रार्थीगण की उपस्थिति में की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय की एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2013 अपास्त की जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण पर प्रोपर तामिल मानते हुए आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में अपीलान्टगण के हस्ताक्षर फर्जी होना पाया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–06–2024 प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–06–2024 एवं एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2024 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–10–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 05–09–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested